

प्रेषक,

आनन्द शुक्ला

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

एफ०टी०सी०-1, बहराइच।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक,

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

द्वारा- श्रीमान जनपद न्यायाधीश,

बहराइच।

विषय: वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2023-24 में जनपद न्यायाधीश बहराइच द्वारा दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के संबन्ध में।

महोदय,

सादर अनुरोध है कि वर्ष 2023-24 के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के रिमार्क कालम संख्या 4 में जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी है जो कि निम्नवत है- As per actual disposal statement the officer charged 10 Units per case on serial No. 09 but as per G.L. No. 11/IV-h-14/2019; Dated: Allahabad: March 04,2019 cases under Section 308 IPC came in the perview of other Sessions Trials/Special cases. According to above mentioned letter for more than 10 years old cases 3 units incentives are provided but the Officer charged 4 units for the same.

सादर अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक संख्या 11/IV-h-14/2019; Dated: Allahabad: March 04,2019 में यह दिया गया है कि धारा 308 भा०द०सं० से संबन्धित 10 साल से ऊपर के मुकदमे के निस्तारण पर पीठासीन अधिकारी को 03 यूनिट अतिरिक्त प्राप्त होंगे, परन्तु सहवन टंकणीय त्रुटि की वजह से सेल्फ असेसमेन्ट में 03 यूनिट के स्थान पर 04 यूनिट(01 अतिरिक्त यूनिट) टंकित हो गया है।

यह भी सादर अवगत करना है कि वर्ष 2023-24 में 1200 यूनिट के सापेक्ष मेरे द्वारा 1348.48 यूनिट का कार्य किया गया है। उपरोक्त कार्य विवरण में एक दिन कम करने के उपरान्त कुल 1347.4 यूनिट आयेगा, जो कि निर्धारित कोटा 1200 यूनिट से अधिक है।

अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि वर्ष 2023-24 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के रिमार्क कालम संख्या 04 में जनपद न्यायाधीश, बहराइच द्वारा दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि को सकारात्मक (Expunged) करने के लिए, मेरे प्रत्यावेदन को माननीय प्रशासनिक न्यायामूर्ति के समक्ष सम्यक एवं सद्भावपूर्क विचार हेतु प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

सादर,

भवदीय

Anand Shukla
(आनन्द शुक्ला) 26/7/24

दिनांक:26.07.2024

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/

एफ०टी०सी०-1, बहराइच।

जे०ओ० कोड- UP1809